ऑनलाइन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न

ऑनलाइन दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न क्या है?

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने, डराने, धमकाने या धमकी देने के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया का उपयोग करता है। यह संदेशों, पोस्ट या अन्य ऑनलाइन कार्रवाइयों के माध्यम से हो सकता है जो व्यक्ति को परेशान, डरा हुआ, या असुरक्षित महसूस कराते हैं।

यदि ऑनलाइन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न किसी विदेशी राज्य के लिए या उनकी तरफ से की जाती है, तो यह विदेशी हस्तक्षेप का एक रूप है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न परेशान करने वाला हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे सुरक्षित रहें, क्या सहायता उपलब्ध है, और यदि आप या आपके समुदाय के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं।

आपको यदि ऑनलाइन परेशान किया गया हो या धमकी दी गई हो तो क्या करें

उस व्यक्ति या खाते के साथ अपना संपर्क सीमित रखें

फोन कॉल और टेक्स्ट संदेश
'संपर्क को ब्लॉक करने' के लिए अपने फोन की सेटिंग्स का उपयोग करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो नंबर को ब्लॉक करने के लिए अपनी फोन कंपनी से संपर्क करें।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न
अपनी गोपनीयता सेटिंग को अपडेट करें। नेटसेफ सोशल मीडिया गाइड्स प्रदान करता है जो आपकी गोपनीयता सेटिंग्स में सहायता करता है।

यदि आपको कोई ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिससे आप असुरक्षित महसूस करते हैं, या आपको परेशान, भयभीत या धमकाया गया महसूस होता है तो इसकी रिपोर्ट करें।

जहां यह घटना घटी उस प्लेटफॉर्म/वेबसाइट/ऐप पर रिपोर्ट करना

उस वेबसाइट, ऐप, या प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्टिंग सुविधा का उपयोग करें जहां घटना घटित हुई हो। नेटसेफ केसोशल मीडिया गाइड्स में इसकी जानकारी है कि यह कैसे करना है।

नेटसेफ को रिपोर्ट करें

आप नेटसेफ को हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं: अनुरोध सबमिट करें – नेटसेफ। नेटसेफ आपको ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित विशेषज्ञ समर्थन, सलाह और सहायता भी दे सकता है। help@netsafe.org.nz पर ईमेल करें या 4282 पर 'Netsafe' टेक्स्ट मैसेज करें।

पुलिस को इसकी सूचना दें

यदि आप खतरे में हैं, तो तुरंत 111 पर कॉल करके पुलिस को सूचित करें।

यदि यह आपातकालीन स्थिति नहीं है, तो आप पुलिस से निम्नलिखित तरीकों से संपर्क कर सकते हैं:

- 105 ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करके
- किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फोन से 105 नंबर पर फोन करके, यह सेवा निःशुल्क है और देश भर में 24/7 (हर दिन 24 घंटे) उपलब्ध है।

105 फॉर्म में आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, ताकि पुलिस को आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने और आपसे संपर्क करने में मदद मिल सके।**पुलिस इस जानकारी का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही करती है।**

NZSIS को रिपोर्ट करें

यदि आपको संदेह है कि इस दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के पीछे कोई विदेशी राज्य है, तो आप NZSIS को उनके सुरक्षित ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

यदि आप नहीं चाहते तो आपको अपना नाम, फोन नंबर या संपर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। आप फॉर्म को अपनी भाषा में भी भर सकते हैं। आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी **गोपनीय और संरक्षित** है।

यदि आप NZSIS में किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप उन्हें +64 4 472 6170 या 0800 747 224 नंबर पर फोन कर सकते हैं।

रिपोर्ट करते समय नेटसेफ, पुलिस या NZSIS के साथ साझा की जाने वाली जानकारी

रिपोर्ट करते समय, यथासंभव अधिक से अधिक विवरण शामिल करना उपयोगी होता है। स्क्रीनशॉट लेने या उसकी एक प्रति सहेजने का प्रयास करें:

- सामग्री क्या कहती या दिखाती है
- उस उपयोगकर्ता का प्रोफ़ाइल या खाता जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार या आपको परेशान किया (उदाहरणतः उनका यूज़र नाम)
- वह दिनांक और समय जब दुर्व्यवहार या उत्पीड़न हुआ
- उस वेबसाइट या ऐप का नाम जहां यह घटना घटी

ऑनलाइन सुरक्षित रहना

ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन सुरक्षित रहना देखें।